



कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखण्ड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है अशांति ॥

पत्रांक :- 1081 दिनांक :- 23/03/2023

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (पर्या० एवं वन)
CCL दरभंगा हाऊस, राँची।

विषय:- **Proposal for non-forestry use of 126.72 ha. (84.35 ha PF and 42.37 ha. Jungle Jhari) of forest land for KDH Open Cast Mine in favour of M/s Central Coalfields Limited (CCL) in Ranchi District Jharkhand - reg.**

प्रसंग:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्र सं०- 8/62/2018-FC Date- 27.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्र सं०- 8/62/2018-FC Date- 27.02.2023 द्वारा विषयगत परियोजना को प्रथम चरण की स-शर्त स्वीकृति प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा (केन्द्रीय) राँची द्वारा लगाए गये शर्त- सं० (A) के कंडिका-3 एवं कंडिका-4 में प्रस्तावित अपयोजन हेतु वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण एवं N.P.V. की राशि हेतु की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

शर्त सं०	विवरणी	रकम
(A) 3	क्षतिपूरक वनरोपण की राशि (253.50 हे०)	5,88,47,687.00
(A) 4	NPV की राशि - 126.72 x 9,57,780.00 कुल वन भूमि 126.72 हे० (घनत्व 0.3) @ 9,57,780.00 की दर से Eco class 3 and density 0.3 के अनुसार 9,57,780.00 रु० प्रति हे०	12,13,69,882.00
कुल-		18,02,17,569.00

* प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि CA/NPV इत्यादि की राशि एफ०सी० वेब पोर्टल से उत्पन्न चालान के माध्यम से उचित बैंक में ही राशि जमा करें।

* अपयोजित होने वाले वन का सिमांकन पर बनने वाली कंक्रीट पीलर का निर्माण जिसमें उनका सीरियल नं०, GPS Cordinates, Forward and Backward bearing एवं दूरी इत्यादि अंकित कर निर्माण कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल रु०- 18,02,17,569.00 (अठारह करोड़ दो लाख सतरह हजार पाँच सौ उन्हत्तर) मात्र का e- चालान generate करते हुए भारत सरकार के Ad-hoc CAMPA में जमा करते हुए सूचना इस कार्यालय को भी दी जाय साथ ही साथ भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाए गये सभी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त (स्थल विशिष्ट प्राक्कलन)

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
23/3